विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित <u>प्रश्न संख्या-11 का उत्तर</u>

<u>प्रश्न</u>	<u>उत्तर</u>
11- (क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि प्रदेश के सांसदो द्वारा लिखे पत्र का संज्ञान लेकर जनहित के अवरूद्ध कार्य प्रारम्भ कराये जाते हैं?	जी हाँ।
(ख) यदि हॉ, तो क्या दिनांक 12 जुलाई, 2024 को सांसद अमेठी द्वारा जनपद-अमेठी के क्षेत्र पंचायतों में प्रतिबंधित किये गये मनरेगा के विकास कार्य को प्रारम्भ किये जाने के संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी को संबोधित कोई पत्र लिखा गया था?	जी हाँ।
(ग) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही की गई है?	मा0 सांसद महोदय के पत्र दिनांक 12-07-2024 के क्रम में उपायुक्त(श्रम रोजगार), अमेठी के कार्यालय पत्र संख्या-273/मनरेगा सेल/क्षे0पं0 आख्या/2024-25, दिनांक 06-08-2024 द्वारा मा0 सांसद महोदय, अमेठी को आख्या प्रेषित की गयी है, जिसमें मा0 सांसद महोदय को अवगत कराया गया है कि क्षेत्र पंचायत हेतु विकास खण्डों द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलनों में पायी गयी कमियों का निराकरण करते हुए संशोधित मांग पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों/कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

केशव प्रसाद मौर्य
उप मुख्यमंत्री।